

न्यायालय भूमि सुधार उप- समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 61 / 2022-23

अनुसूची -14 फॉर्म सं0- 563

आदेश की क्र०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी												
13/12/23	आवेदक एस्कर बारला, पिता मसीह प्रकाश बारला, जाति मुण्डा, ग्राम +पो0- कुम्हारी, थाना - बसिया, जिला- गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table border="1"> <tr> <th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th><th>जमीन किस्म</th></tr> <tr> <td>कुम्हारी</td><td>117</td><td>60</td><td>250</td><td>0.32½ एकड़ भूमि</td><td></td></tr> </table> कुल 0.32½ एकड़ भूमि (साढ़े बत्तीस डिसमील) प्लॉट सं० 250 का चौहदी :- उत्तर में - नाहू उरॉव का टांड एवं अनमोल कुजूर का मकान, दक्षिण में - विल्कन बारला (इसी प्लॉट का अंश), पुरब में - प्लॉट सं० 249(मानुएल मुण्डा का टांड), पश्चिम में - प्लॉट सं० 293 जमीन विक्रेता का विवरणी एस्कर बारला, पिता मसीह प्रकाश बारला, जाति मुण्डा, ग्राम +पो0- कुम्हारी, थाना - बसिया, जिला-गुमला जमीन क्रेता का विवरणी विजय खड़िया, पिता नकू खड़िया, जाति खड़िया, ग्राम+पो0 - कुम्हारी, थाना - बसिया, जिला गुमला । आवेदक द्वारा आवेदित भूमि को प्रस्तावित क्रेता विजय खड़िया, पिता नकू खड़िया, जाति खड़िया, ग्राम+पो0 - कुम्हारी, थाना - बसिया जिला- गुमला से राशि 1,00,000 (एक लाख)रुपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म	कुम्हारी	117	60	250	0.32½ एकड़ भूमि		
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म									
कुम्हारी	117	60	250	0.32½ एकड़ भूमि										



हेतु रुपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांक 456 दिनांक 03/10/2023 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत मुण्डा एवं खड़िया जाति के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक एस्कर बारला, पिता मसीह प्रकाश बारला, जाति मुण्डा, ग्राम +पो0- कुम्हारी, थाना - बसिया जिला-गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि 1,00,000 (एक लाख) रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा स्वीकृत प्रदान की जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

13/12/23

भूमि सुधार उप -समाहर्ता
बसिया (गुमला)



13/12/23

भूमि सुधार उप -समाहर्ता
बसिया (गुमला)